



Neutral Citation No. - 2026:AHC:49527

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 836/2026

श्रीमती रमावती

----- याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

राजस्व बोर्ड उत्तर प्रदेश और 4 अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : सौरभ कुमार पांडे

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी वकील श्री सत्येंद्र भूषण दुबे को सुना।
2. यह याचिका उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड, इलाहाबाद स्थित प्रतिवादी संख्या 1 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के तहत पुनरीक्षण संख्या REV/1610/2022, कम्प्यूटरीकृत मामला संख्या AL20221506001610 (सुमित सिंह बनाम नायब तहसीलदार, मुबारकपुर, तहसील- सदर, जिला-आजमगढ़ और अन्य) पर निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय लेने का निर्देश देने हेतु परमादेश के लिए दायर की गई है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा याचिकाकर्ता को विपक्षी पक्षकार बनाकर दायर की गई पुनरीक्षण याचिका प्रतिवादी संख्या 1/उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड, प्रयागराज, प्रयागराज के समक्ष वर्ष 2022 से लंबित है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पुनरीक्षण याचिका उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34 के अंतर्गत कार्यवाही से संबंधित है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि मामले की आदेश पत्र की प्रति याचिका के अनुलग्नक संख्या 2 के रूप में संलग्न की गई है ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि मामले की कार्यवाही में तेजी नहीं आ रही है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना और तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी संख्या 1/उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड, इलाहाबाद को निर्देश दिया जाता है कि वह उपरोक्त मामले का गुण-दोष के आधार पर विधि के अनुसार पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति उनके समक्ष प्रस्तुत होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर निर्णय करे।
5. तदनुसार, रिट याचिका को अंतिमरूप से निस्तारित किया जाता है।

(चंद्र कुमार राय, जे.)

11 मार्च, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।